

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या
45/2022

रजू दिनांक
16.08.2022

निर्णय दिनांक
15.11.2022

// /उनवान//

1 धर्मा पुत्री सुखीराम

2 वीरमति पुत्री सुखीराम जाति जाट नि0 रणसी माजरी तह0 बावल, जिला रेवाडी हरि0।

:- वादी/प्रार्थीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादी/अप्रार्थी

प्रा0 पत्र- अन्तर्गत धारा 136

एल. आर. एक्ट 1956

उपस्थिति:- 1 पृथ्वीसिंह पृथ्वीसिंह यादव - वकील प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक- 15.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 2385 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर मिन प्रार्थीगण का 1/8-1/8 भाग दर्ज है। प्रार्थीगण कुल 08 भाई-बहन है गत चौसाला की जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के 06 भाईयों/सहखातेदारों की वल्लियत तो सही दर्ज की लेकिन प्रार्थीगण की वल्लियत दर्ज करते समय धर्मा पुत्री सुखीराम व वीरमती पुत्री सुखीराम के स्थान पर माता का नाम भुतेरी दर्ज कर दिया अर्थात् धर्मा पुत्री भुतेरी, वीरमती पुत्री भुतेरी गलत दर्ज कर दिया गया जो काबिल दुरुस्ती है अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत एंट्री काश्तकार सं0 02 धर्मा पुत्री भुतेरी देवी व सं0 08 वीरमती पुत्री भुतेरी देवी को हजफ कर उनके स्थान पर धर्मा पुत्री सुखीराम व वीरमती पुत्री सुखीराम दर्ज किये जाने के आदेश फरताये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी द्वारा बार-बार जवाब का अवसर दिये जाने उपरांत जवाब पैरोकार सरकार का अवसर किया गया।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 एवं नकल जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075-78 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप सहखातेदार महेन्द्रसिंह पुत्री सुखीराम का शपथपत्र पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। दौराने बेहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि हाल आ0ख0न0 2385 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर प्रार्थीगण का 1/8-1/8 भाग दर्ज है। प्रार्थीगण कुल 08 भाई-बहन है गत चौसाला की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0




जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के 06 भाईयों/सहखातेदारों की वल्लिद्यत तो सही दर्ज की लेकिन प्रार्थीगण की वल्लिद्यत दर्ज करते समय धर्मा पुत्री सुखीराम व वीरमती पुत्री सुखीराम के स्थान पर माता का नाम भुतेरी दर्ज कर दिया अर्थात धर्मा पुत्री भुतेरी, वीरमती पुत्री भुतेरी दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया गया। काविल दुरुस्ती है। प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 एवं नकल जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075-78 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप सहखातेदार महेन्द्रसिंह पुत्री सुखीराम का शपथपत्र पेश किये है जिसके आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2074 में प्रार्थीगण के नाम धर्मा, वीरमती पुत्रियान व भुतेरी देवी धर्म पत्नि सुखीराम का अंकन तो सही है लेकिन हाल जमाबंदी में अंकित काश्तकार सं० 02 धर्मा पुत्री भुतेरी देवी व सं० 08 वीरमती पुत्री भुतेरी देवी का अंकन हो गया है जिसको हजफ कर उनके स्थान पर धर्मा पुत्री सुखीराम व वीरमती पुत्री सुखीराम दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई व पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित धर्मा पुत्री भुतेरी देवी एवं वीरमती पुत्री भुतेरी देवी के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इनके स्थान पर धर्मा पुत्री सुखीराम व वीरमती पुत्री सुखीराम के नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे जिस हेतु निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


(पंकज बटनगर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राजस्थान
मुण्डावर (अलवर) राज०